न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2017 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री जीवा पुत्र स्व. श्री मकना मीणा निवासी बड़ला तहसील खैरवाड़ा जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री लक्ष्मण पुत्र स्व. श्री मकना मीणा निवासी बड़ला तहसील खैरवाड़ा जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री किशन पुत्र स्व. मकना मीणा निवासी बड़ला तहसील खैरवाड़ा जिला उदयपुर (राज0)
4. श्री कालू पुत्र स्व. श्री मकना मीणा निवासी बड़ला तहसील खैरवाड़ा जिला उदयपुर (राज0)
5. श्री जगदीश पुत्र स्व. श्री मकना मीणा निवासी बड़ला तहसील खैरवाड़ा जिला उदयपुर (राज0)
6. श्रीमती जीवली पत्नी स्व. श्री मकना मीणा निवासी बड़ला तहसील खैरवाड़ा जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री कालूराम पिता स्व. श्री कचरा मीणा निवासी बड़ला तहसील खैरवाड़ा जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री धर्मनारायण पिता स्व. श्री कचरा मीणा निवासी बड़ला तहसील खैरवाड़ा जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री सोहनलाल पिता स्व. श्री कचरा मीणा निवासी बड़ला तहसील खैरवाड़ा जिला उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी खैरवाड़ा दिनांक 30–06–2016 प्रकरण
संख्या 65/2010 रेवेन्यू वाद

———

उपस्थित :–1–श्री हर्षद जोशी अभिभाषक अपीलान्ट्स
2–रेस्पोन्डेन्ट अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक 27—11—2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्ट प्रतिवादी के विरूद्ध धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव बड़ला में वादीगण के पिता/पति मकना के खाते में सम्वत् 2013 में साबिक आराजी नंबर 2071 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित थी। उक्त भूमि को प्रतिवादीगण के रिस्तेदार भीमा पिता नाथा को रहन रखा हुआ था। वादीगण के पिता ने कचरा पिता नाथा से रहन मुक्त कराकर आज तक उस भूमि पर काबिज है व काश्त कर रहे है। उक्त आराजी के हाल आराजी नंबर 2909 रकबा .51 हैक्टर है। वादीगण को दिनांक 15—7—2010 को प्रतिवादी की जानकारी प्राप्त हुई कि नामान्तरण संख्या 36 में वादीगण के पिता मकना द्वारा प्रतिवादीगण के पिता कचरा पिता नाथा को रूपये 99/— में साबिक आराजी नंबर 2071 विक्रय करने की लिखापढ़ी व सरपंच की मिली—भगत से प्रतिवादीण ने भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली है। भूमि पर वादीगण पैतृक रूप से काबिज है। अतएव उन्हें खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

प्रतिवादीगण की और से खण्डन का जवाबदावा व काउण्टर क्लेम पेश कर कथन किया कि भूमि पर 7—10—1970 से वादीगण का कब्जा नहीं है, बल्कि मकना से कचरा को विक्रय से प्रतिवादीगण इस भूमि पर काबिज है। प्रतिदावा पेश कर प्रतिवादी के खातेदार व काबिज होने से स्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने की मांग की।

प्रकरण में दिनांक 21—11—2012 को वकील वादी द्वारा आदेश—8, नियम—11 (क) जाब्ता दीवानी का आवेदन पेश किया तथा दिनांक 5—12—2012 को आदेश—11, नियम—12 व 14 जाब्ता दीवानी, धारा 151 जाब्ता दीवानी का आवेदन पेश कर विक्रय पत्र प्रतिवादी के पास होने से उसे पेश करवाने का निवेदन किया। उक्त आवेदनों पर बहस के लिए पत्रावली दिनांक 7—10—2015, 6—11—2015 को मुकर्रर थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 27—6—2016 को लोक अदालत में रखकर पक्षकारान की उपस्थिति में उन्हें सुनने के बाद राजीनामा सहमति नहीं होने पर दिनांक 30—6—2016 को निम्नानुसार निर्णय पारित कर दिया :—

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
30–6–16	**हमने वाद पत्र पस्तुत अभिलेख जवाब प्रविादीगण का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया। विवादित नामान्तरकरण नं0 36 ग्राम बड़ला सरपंच ग्राम पंचायत बड़ला द्वारा दिनांक 22–1–71 को स्वीकृत कर तत्कालीन खसरा नं0 2071 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा केता कचरा पिता नाथा मीणा के नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करने की स्वीकृति दी गई। उक्त खसरा नम्बर 2071 का नवीन बन्दोबस्त में मिलान क्षैत्रफल अनुसार ख0नं0 2909 रकबा 0.51 हैक्टर बना जो बन्दोबस्त खतौनी में क्रेता के नाम तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में कचरा के पुत्र प्रतिवादीयों के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रकरण अन्तर्गत वर्णित विक्रय पत्र को भी प्रतिवादियों से दिंाक 27–6–16 को शिविर के दौरान मजमेआज में हमने देखा, वादियों को दिखाया और प्रतिवादियों को लौटा दिया गया। प्रतिवादियों ने 40 वर्ष पश्चात् नामान्तरकरण नं0 36 ग्राम बड़ला को निरस्त कर वर्तमान ख0नं0 2909 की खातेदारी स्वयम् के नाम कराने हेतु दावा प्रस्तुत किया है। यदि विलम्ब को भी नहीं देखा जावे तो अभिलेखीय आधार पर वादीगण को कोई राहत प्रदान करना प्रस्तुत स्थिति में सम्भव नहीं है। 40 वर्ष तक रिकार्ड की स्थिति की जानकारी न होना तथा कब्जे के सम्बन्ध में भी कोई तथ्य/अभिलेख पत्रावली में नहीं होने के कारण वादीगणों के तर्क कानूनी स्थिति में उनके पक्ष में नहीं है।** **अतः वाद वादीगण उक्त विवेचन व स्थिति अनुसार खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं हस्ब कायदा दाखिल दफ्तर हो।** ह0/– कृष्ण दत्त पाण्डेय उप जिला कलेक्टर खेरवाड़ा(उदयपुर)	

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 30–6–2016 से रूष्ट होकर वादी अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27–12–2016 को पेश की। अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 30–6–2016 को पक्षकारान की

उपस्थिति के बिना तथा जानकारी के प्रयास कारने पर भी जानकारी उपलब्ध नहीं होने पर अन्दर जानकारी मयाद से अपील पेश की जा रही है। ताईद में शपथ पत्र भी दिया। अखण्डित शपथ पत्र न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिसि जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा उजर लिए गये कि अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण में तनकीयात बनाकर साक्ष्य लेकर निर्णय पारित करना चाहिये था। लोक अदालत में राजीनामा नहीं होने पर विधिक प्रक्रिया अपनाये निा अधिनस्थ न्यायालय ने विधिवत सुनवाई किये बिना निर्णय पारित किया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को लोक अदालत में रखने पर राजीनामा नहीं होने पर लम्बित आवेदनों का निस्तारण का जवाब काउण्टर क्लेम प्राप्त कर तनकियां बनाकर प्रकरण का विधिक प्रक्रिया से साक्ष्य लेकर विधिक निर्णय किया जाना चाहिये था,परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय व स्थापित विधिक प्रक्रिया से परे जाकर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–6–2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का उपरोक्तानुसार अवसर देकर विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29–1–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27–11–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ. .....मुकाम .....
उदयपुर व इजलास ..... एल.एन. मंत्री आर.ए.एस. .....

1–श्री नका पिता काना पारगी भील **निवासी वागड़ा तहसील झाड़ोल** **जिला उदयपुर व अन्य–5**	बनाम	**श्री नानालाल पिता रामा जी भील** **निवासी वागड़ा तहसील झाड़ोल** **जिला उदयपुर**

अपील नं0 **43/2014** बनाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी** .....**झाड़ोल** .....मुकाम मुक्र्खे.....**14**.....माह.....**05**.....**2014**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....09..... माह .....**11**..... सन् .....**2017** .....रूबरू . .....पक्षकारान व हाजरी .....**श्री सुरेश त्रिवेदी** ..... मिनजानिब अपीलान्ट व . .....**श्री मनीष शर्मा** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14–5–2014 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**09**..... माह .....**11**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।